

फा० सं० ए. 12018/14/2018- सीजीएचएस-।


भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग
सीजीएचएस प्रभाग
(सीजीएचएस-। अनुभाग)

कमरा सं० 430, 'सी' विंग
निर्माण भवन, नई दिल्ली
दिनांक : 27- 12 - 2018

यह विभाग केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) में लेखा अधिकारी पद हेतु भर्ती नियमों में संशोधन के लिए प्रस्ताव की जांच कर रहा है। तदनुसार, एक मसौदा भर्ती नियम तैयार किया गया है और इसकी प्रति संलग्न है।

इस मामले पर हितधारियों से टिप्पणियां आमंत्रित की जाती हैं। वेबसाईट पर डालने के 30 दिनों के भीतर टिप्पणियों को अवर सचिव (प्रशासन), सीजीएचएस, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, कमरा सं. 430, 'सी' विंग, निर्माण भवन, नई दिल्ली को भेज दें। साफ्ट प्रति भी s.dharminder@nic.in पर भेजी जाए।

संलग्नक: यथोक्त



(धर्मेन्द्र सिंह)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

सभी संबंधित।

[भारत के राजपत्र के भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशनार्थी]

भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
(सीजीएचएस प्रभाग)

नई दिल्ली, दिनांक , 2018

अधिसूचना

सा.का.नि. ----- राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना लेखा अधिकारी भर्ती नियम, 1996 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना में लेखा अधिकारी के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना संगठन (लेखा अधिकारी) भर्ती नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मेट्रिक्स में स्तर - उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उससे संबद्ध वेतन मेट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा और अर्हताएं आदि - उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरहता - वह व्यक्ति -

- (क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है अथवा विवाह की संविदा की है जिसका पति या पत्नी जीवित है, या
(ख) जिसने एक पति/एक पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति के साथ विवाह किया है अथवा विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केंद्रीय सरकार इससे सहमत है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति - जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपवन्ध को, किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति - इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में स्यम-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मेट्रिक्स में लेवल	चयन पद अथवा गैर- चयन पद	सीधी भती हेतु आयु- सीमा
1	2	3	4	5	6
लेखा अधिकारी	2* (2018) दिल्ली - 1 मुंबई - 1	सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह 'ख', राजपत्रित, अनुसचिवीय	लेवल 7 (रु. 44900- 142400)	चयन	लागू नहीं

* कार्यभार के आधार पर
परिवर्तन किया जा सकता है।

सीधी भर्ती हेतु अपेक्षित शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु तथा शैक्षणिक अर्हताएं पदोन्नत कर्मचारियों के मामलों में भी लागू होगी	पार परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, क्या भर्ती सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा की जानी है और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाले रिक्तियों की प्रतिशतता	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा की जाने वाली भर्ती के मामले में, ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाना है।
(7) लागू नहीं	(8) लागू नहीं	(9) लागू नहीं	(10) पदोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा	<p>(11) पदोन्नति : ऐसा लेखाकार जिसने उस श्रेणी/स्तर में पांच वर्ष की नियमित सेवा की है।</p> <p>टिप्पणी:- जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे वरिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा वशर्ते कि उनके पास कनिष्ठ व्यक्तियों से कम अथवा दो वर्ष से कम अर्हक/पात्रता सेवा, इनमें से जो भी कम हो, न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति की अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p>प्रतिनियुक्ति:- केंद्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकरी -</p> <ul style="list-style-type: none"> (क) (i) जो मूल संवर्ग / विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं, अथवा (ii) जिन्होंने मूल संवर्ग/विभाग में लेवल 6 में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस लेवल में

			<p>पांच वर्ष की सेवा की है।</p> <p>(ख) जिन्होंने सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंधन संस्थान में रोकड और लेखा कार्य में या समतुल्य में प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लियास है और जिनके पास रोकड, लेखा और बजट कार्य में दो वर्ष का अनुभव है।</p> <p>टिप्पण :- फीडर ग्रेड श्रेणी के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्ति की सीधी पंक्ति में है प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्ति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारिता किसी अन्य संवर्ग वाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी) प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख को 55 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>
--	--	--	---

यदि विभागीय पदोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	(12)	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
1. विभागीय पदोन्नति समिति में होंगे:- (1) निदेशक, केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना - अध्यक्ष (2) निदेशक (प्रशासन एवं सतर्कता) स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (3) उप सचिव/अवर सचिव (प्रशासन) केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना	(13)	लागू नहीं

[सं. ए-12018/14/2018-सीजीएचएस-I]

(धर्मेन्द्र सिंह)
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में

प्रबंधक,
भारत सरकार मुद्रणालय,
रिंग रोड, मायापुरी
नई दिल्ली।